# राजस्व लोक अदालत केम्प मेवानगर तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 65/2018

वादीगण :– 1 भटराम पुत्र रतनाराम मेगवाल निवासी जसोल

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. तहसीलदार पचपदरा जरिये राज0सरकार

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व</u>

**आदेश** दिनांकः–21.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत मेवानगर में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम खेड के खसरा न0 426, 427, 430 व ग्राम शोभावास के खन0 198/18, 200/13 मे अपीलाण्ट के खातेदारी हक हिस्सा जरिये खेड के नामान्तरकरण सख्या 2303 व शोभावास के नमान्तरकरण संख्या 406 के दर्ज करते समय अपीलाण्टगण का अशुद्व नाम हटाराम दर्ज किया गया है । जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार भटाराम है। अतः अपीलाण्ट का सही नाम भटाराम पुत्र रतनाराम करने का निवेदन किया है ।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत ब्यानकर्ता भटाराम, भाई मांगीलाल, व माता खम्मादेवी पटवारी मेवानगर/आर.आई तिलवाडा/ उपतहसीलदार जसोल व प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, राशकार्ड, परिचय पत्र की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे हटाराम की जगह भटाराम पुत्र रतनाराम नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्व नाम हटाराम की जगह भटाराम पुत्र रतनाराम करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......

Scanned by CamScanner